खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

सर्वोच्च प्राथमिकता

कमांक /खाद्य/राशनकार्ड/2011 भोपाल,दिनांक ..5 2011

प्रति,

समस्त
जिला– कलेक्टर
मध्यप्रदेश।

विषयः– बीपीएल योजना अंतर्गत एच.आई.व्ही पॉजिटीव व्यक्तियों को अन्त्योदय योजना की सूची में शामिल करने बाबत्।

संदर्भः– भारत शासन के पत्र कमांक13(15)/2009/पीडी–111दिनांक 20.8.2009

उपरोक्त विषय में भारत शासन के पत्र दिनांक 20.8.2009 की छायाप्रति संलग्न का कृपया अवलोकन करें। पत्र में एड्स पिडित बीपीएल परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर राशनकार्ड वितरण कराए जाने के निर्देश के तारतम्य में जिले में ऐसे बीपीएल हितग्राहियों को जो कि एड्स पीडित है उनके नाम एएवाय सूची में सम्मिलित करते हुए नियमानुसार एएवाय श्रेणी के राशनकार्ड जारी करने की कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करने का कष्ट करें। इसके जोडने से जिले में एएवाय के परिवार की संख्या लक्ष्य से अधिक नहीं होगी।

उक्त के साथ–साथ यह स्पष्ट किया जाता है कि जिले में जितने एड्स पिडीत बीपीएल परिवार को एएवाय में सम्मिलित किया जाएगा उतने ही अन्य वर्ग समूह के कम गरीब परिवार को एएवाय से बीपीएल में स्थानांतरित कर कुल कार्ड संख्या जिले के लक्ष्य अनुसार ही रखा जाऐगा। कृपया उसका विशेष ध्यान रखा जाए।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

संयुक्त संचालक
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,
मध्यप्रदेश

कमांक 2967/खाद्य/राशनकार्ड/2011 भोपाल,दिनांक 18-.5-2011

प्रतिलिपिः–

1. समस्त संभागायुक्त मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ।
2. परियोजना संचालक मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति तिलहन संघ भवन अरेरा हिल्स भोपाल मध्यप्रदश की ओर आपके पत्र कमांक 1962/एड्स/सी.एस.एम/2011 दिनांक 30.4.2011 के संबंध में सूचनार्थ।
3. जिला आपूर्ति नियंत्रक/जिला आपूर्ति अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संयुक्त संचालक
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,
मध्यप्रदेश

PTO

कार्यालय कलेक्टर, जिला शहडोल मध्य प्रदेश

क्रमांक / दो / खाद्य / पीडीएस / फा 124 / 2011 / 409 शहडोल, दिनांक 28 मई, 2011

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
शहडोल म.प्र.

विषय — बीपीएल योजना अन्तर्गत एच.आई.व्ही. पाजिटिव व्यक्तियों को अन्त्योदय योजना की सूची में शामिल करने बावत ।

आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक 2966—67 / खाद्य / राशन कार्ड / 2011 / भोपाल, दिनांक 18.5.2011 (छायाप्रति संलग्न) के व्दारा एडस पीडित बीपीएल परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर राशन कार्ड जारी करने के निर्देश के तारतम्य में जिले में ऐसे बीपीएल हितग्राहियों को जो कि एडस पीडित है, के नाम एएवाय सूची में शामिल करते हुये नियमानुसार एएवाय श्रेणी के राशन कार्ड जारी करने के निर्देश प्राप्त हुये हैं ।

बीपीएल एवं अन्त्योदय योजना के राशन कार्ड जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में सहायक आपूर्ति अधिकारी (कार्यालय जिला आपूर्ति अधिकारी शहडोल), जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोडकर शेष नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रो में सम्बन्धित तहसीलदार व्दारा बनाये जाते है ।

अतः कृपया जिले के बीपीएल एडस पीडितों के सूची, नाम व आवश्यक विवरण सहित सम्बन्धित क्षेत्र के अधिकारियों को यथाशीघ्र उपलब्ध करावें ताकि उनके व्दारा बीपीएल एडस पीडितों को एएवाय राशन कार्ड जारी करते हुये शासन की योजना का लाभ दिया जा सके । जिले के एडस पीडितों की इकजाई सूची जिला आपूर्ति अधिकारी शहडोल को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

संलग्न — पत्र दिनांक 18.5.2011

(नीरज दुबे)
कलेक्टर,
जिला शहडोल म.प्र

क्रमांक / दो / खाद्य / पीडीएस / फा 124 / 2010 / 409 शहडोल, दिनांक 28 मई, 2011

प्रतिलिपि —

1. आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल । कृपया भवदीय पत्र क्रमांक 2966—67 / खाद्य / राशन कार्ड / 2011 / भोपाल, दिनांक 18.5.2011 में उल्लेखित भारत शासन के पत्र क्रमांक 13(15)2009 / पीडी—111 / दिनांक 20.8.2009 की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
2. परियोजना संचालक, म.प्र. राज्य एडस नियंत्रण समिति, अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र.को सूचनार्थ ।
3. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व (समस्त) जिला शहडोल म.प्र.
4. तहसीलदार (समस्त) / सहायक आपूर्ति अधिकारी, शहडोल म.प्र.

आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक 2966—67 / खाद्य / राशन कार्ड / 2011 / भोपाल, दिनांक 18.5.2011 की छाया प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है ऐसे बीपीएल हितग्राहियों को जो कि एडस पीडित है, के नाम एएवाय सूची में शामिल करते हुये नियमानुसार एएवाय श्रेणी के राशन कार्ड जारी करते हुये सूचित करें ।

संलग्न — पत्र दिनांक 18.5.2011

कलेक्टर,
जिला शहडोल म.प्र.